कार्यालय वन संरक्षक दक्षिणी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, नैनीताल।

(दूरभाष/फैक्स सं0– 05942–235452] E-mail:-cf_skumaon@rediffmail.com

पत्र संख्या– 447 /12–1 दिनांक, 15-09-.2022.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून

विषय :– जनपद नैनीताल के अन्तर्गत खैरनां पुल–काकड़ीघाट–सुयालबाड़ी तक मार्ग के किनारे–ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने हेतु 0.36 है0 वन भूमि का विंध्या टेलीकॉम लिमिटेड को अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में।(प्रस्ताव संख्या **FP/UK/OFC/140824/2021**)

संदर्भ:– प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग नैनीताल का पत्रांक–741/13–ओ0एफ0सी0 दिनांक 13.09.2022.

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के माध्यम से प्रस्तावित मोटर मार्ग में आपत्तियां लगायी गयी थी, जिनका निराकरण कर बिन्दुवार आख्या निम्न प्रकार प्रेषित है–

क्र0 सं0	आपत्ति	प्रतिउत्तर
1	वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव को भारत सरकार द्वारा निर्धारित परिवेश पोर्टल पर अपलोड करने हेतु सक्षम स्तर से अधिकृत किये जाने वाले अधिकारी से संम्बन्धित प्रमाण पत्र प्रस्ताव में अपेक्षित है।	प्रभागीय वनाधिकारी नैनीताल वन प्रभाग नैनीताल के रिपोर्ट के अनुसार वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव को भारत सरकार द्वारा निर्धारित परिवेश पोर्टल पर अपलोड करने हेतु सक्षम स्तर से अधिकृत किये जाने वाले अधिकारी से संम्बन्धित प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न कर दिया गया है।
2	प्रस्तावित मोटर मार्ग के किनारे–किनारे OFC केबिल बिछाने के पैरा 4.1 एवं पैरा 4.2 के अनुसार अपेक्षित Row की सूचना प्रस्ताव के संलग्न की जानी अपेक्षित है।	प्रभागीय वनाधिकारी नैनीताल वन प्रभाग नैनीताल के रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित मोटर मार्ग का निर्माण 1980 से पूर्व किया गया है। उक्त मार्ग के अभिलेख लोक निर्माण विभाग एवं वन विभाग के पास उपलब्ध नहीं है।
3	OFC केबिल बिछाने हेतु मोटर मार्ग के पूर्व में स्वीकृति पत्रों की प्रति प्रस्ताव में संलग्न करें।	प्रभागीय वनाधिकारी नैनीताल वन प्रभाग नैनीताल के रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित मोटर मार्ग में सम्बन्धित विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न कर लिया गया है।
4	प्रस्ताव में संलग्न विभिन्न क्षेत्रों की संयुक्त निरीक्षण आख्या में (पृष्ठ संख्या 12 से 15 तक) परियोजना क्षेत्रों के नामों का उल्लेख नहीं किया गया है।	प्रभागीय वनाधिकारी नैनीताल वन प्रभाग नैनीताल के रिपोर्ट के अनुसार प्रस्ताव में संलग्न विभिन्न क्षेत्रों की संयुक्त निरीक्षण आख्या में (पृष्ठ संख्या 12 से 15 तक) परियोजना क्षेत्रों के नामों को अंकित कर दिया गया है।
4	प्रस्ताव में संलग्न विभिन्न क्षेत्रों की संयुक्त निरीक्षण आख्या में (पृष्ठ संख्या 12 से 15 तक) परियोजना क्षेत्रों के नामों का उल्लेख नहीं किया गया है।	प्रभागीय वनाधिकारी नैनीताल वन प्रभाग नैनीताल के रिपोर्ट के अनुसार प्रस्ताव में संलग्न विभिन्न क्षेत्रों की संयुक्त निरीक्षण आख्या में (पृष्ठ संख्या 12 से 15 तक) परियोजना क्षेत्रों के नामों को अंकित कर दिया गया है।
5	प्रस्ताव में सभी प्रपत्रों में पृष्ठ संख्या सभी प्रपत्रों के ऊपर नीचे दोनों स्थान पर अंकित की गई है, जिससे प्रमाण पत्रों के अवलोकन करने से पृष्ठ में संख्या की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। पृष्ठ संख्या एक ही स्थान पर अंकित किये जाए।	प्रभागीय वनाधिकारी नैनीताल वन प्रभाग नैनीताल के रिपोर्ट के अनुसार प्रस्ताव में सभी प्रपत्रों में पृष्ठ संख्या एक ही स्थान पर अंकित कर दी गयी है।
6	राष्ट्रीय पार्क/वन्यजीव अभ्यारण से संबन्धित प्रमाण पत्र में संम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर अपेक्षित हैं।	प्रभागीय वनाधिकारी नैनीताल वन प्रभाग नैनीताल के रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय पार्क/वन्यजीव अभ्यारण से संबन्धित प्रमाण पत्र में संम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर कर दिये गये हैं।

7	राष्ट्रीय पार्क/वन्यजीव अभ्यारण से हवाई दूरी से सम्बन्धित संबन्धित प्रमाण पत्र में हवाई दूरी अंकित नहीं की गई है।	प्रभागीय वनाधिकारी नैनीताल वन प्रभाग नैनीताल के रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय पार्क/वन्यजीव अभ्यारण से संबन्धित प्रमाण पत्र में हवाई दूरी को अंकित करके प्रस्ताव में संलग्न कर दिया गया है।
8	प्रस्ताव के संलग्न वनाधिकार अधिनियम 1980 से सम्बन्धित ग्राम प्रधान पंचायत के अनापत्ति प्रमाण पत्र में संम्बन्धित ग्राम पंचायत का नाम अंकित नहीं किया गया है।	प्रभागीय वनाधिकारी नैनीताल वन प्रभाग नैनीताल के रिपोर्ट के अनुसार प्रस्ताव में संलग्न वनाधिकार अधिनियम 1980 से सम्बन्धित ग्राम पंचायत के अनापत्ति प्रमाण पत्र में संम्बन्धित ग्राम पंचायत का नाम अंकित कर दिया गया है।
9	स्थल विशिष्ट होने या ना होने का प्रमाण में प्रस्तावित स्थल स्थलीय विशिष्ट नहीं है का उल्लेख किया गया है, स्थिति स्पष्ट करें।	प्रभागीय वनाधिकारी नैनीताल वन प्रभाग नैनीताल के रिपोर्ट के अनुसार प्रस्ताव में स्थलीय विशिष्ट होने का प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया गया है।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(मान सिंह)
मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक
दक्षिणी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, नैनीताल

पत्रांक 447/ दिनांकित।

प्रतिलिपि–प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग नैनीताल को उपरोक्त संदर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

(मान सिंह)
मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक
दक्षिणी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, नैनीताल